सत्यमेव जयते

No.1/2/2017-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 19th April, 2017

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

Subject: Summary Record of discussions 94th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 23.3.2017 at 11:00 Hrs.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 94th meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 23.3.2017 at 11:00 Hrs. in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(K.D Bhansor) Mrs
Director

Copy of the Summary Record of discussions of 94th meeting of NCST forwarded to the following Officers with request that information about action taken on the decision taken in the meeting concerning each Unit/Office may be furnished to Coordination Cell by 5.5.2017 positively:

(i) Director (RU-III & IV and Admin)
(ii) Deputy Secretary (RU-I & II)
(iii) Under Secretary (Coordination & Estt.)
(iv) Assistant Director (RU-III & Admin)/AD (OL & RU-II & III)

Copy of Summary Record of discussion of 94th meeting forwarded for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (Shri HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (Shri HCV), NCST
5. PA to Hon'ble Member (Smt. MCI), NCST
6. PA to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
9. NIC, NCST for uploading on the website.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की 94वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

फाईल सं. 1/2/2017–समन्वय

दिनांक : 23 मार्च, 2017 समय : 11:00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

सहभागियों की सूची :

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
3. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
8. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
9. श्री दिलीप एस. कुंभारे, अवर सचिव
10. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
11. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

कार्यसूची मद सं0 1	**डॉ0 किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, सांसद, लोकसभा द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का समावेशन विधेयक, 2016** **The inclusion of SC/ST Population in below poverty line category Bill, 2016 by Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Member of Parliament, Lok Sabha.**

1.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/1/2017–एससीडी–VI (डीएएफ) दिनांक 27.01.2017 द्वारा

19.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 2	मंत्रिमंडल के लिए ड्राफ्ट नोट– गोरखालैंड क्षेत्र प्रशासन अधिनियम, 2011 को निर्मित करने के दृष्टिकोण से संविधान के भाग–IX के अनुच्छेद 243एम(3) में संशोधन **Draft Note for the Cabinet –Amendment to Article 243M (3) of Part IX of the Constitution, in view of the enactment of Gorkhaland Territorial Administration Act, 2011**

2.1. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र संख्या 19012/03/2017–पीजी दिनांक 02.03.2017 द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. एन–11011/40/2016–पीआरआई दिनांक 23.02.2017 के साथ 'मंत्रिमंडल के लिए ड्राफ्ट नोट– गोरखालैंड क्षेत्र प्रशासन अधिनियम, 2011(जी.टी.ए.) को निर्मित करने के दृष्टिकोण से संविधान के भाग–IX के अनुच्छेद 243एम(3) में संशोधन' हेतु आयोग को टिप्पणी के लिए भेजा है।

2.2. ड्राफ्ट नोट में उल्लिखित है कि दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् (डीजीएचसी) अब विद्यमान नहीं है। जीटीए एक्ट, 2011 द्वारा डीजीएचसी अधिनियम, 1988 को हटा दिया गया है। जीटीए एक्ट में तीन स्तरीय पंचायत का प्रावधान है। परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 243एम अधिदेश के अनुसार दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में जिला पंचायत या जिला परिषद की स्थापना से छूट नहीं है। इसलिए, तद्नुसार संविधान में संशोधन करके अपवाद को दूर किया जाए।

इसलिए, यह प्रस्तावित है कि अनुच्छेद 243एम (3) को निरस्त किया जाए तथा निम्नानुसार उपखण्ड (सी) को अनुच्छेद 243एम (4) में जोड़ा जाए।

> संविधान के भाग–IX तथा IX क प्रावधानों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा, विधि द्वारा, दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक पृथक जिला स्तर पंचायत तथा एक जिला योजना समिति स्थापित कर सके।

2.3. उपरोक्त प्रकरण पर विस्तृत विवेचना के बाद, आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

19.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 3	सिक्किम विधान सभा (एसएलए) सीटों को 32 से बढ़ाकर 40 करने और विधान सभा में लिम्बू और तमांग (एल एण्ड टी) अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु मंत्रिमंडल के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट **Draft Note for the Cabinet to increase of Seats in Sikkim Legislative Assembly (SLA) from 32 to 40 and reservation of seats for Limboo and Tamang (L&T) ST communities in the Assembly.**

3.1. गृह मंत्रालय (एनई डिवीजन) ने का.ज्ञा.सं. 4/1/2011–एनई-II दिनांक 07.03.2017 द्वारा सिक्किम विधान सभा में 32 सीटों से 40 सीटें बढ़ाने तथा लिम्बू एवं तमांग जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव करते हुए ड्राफ्ट केबिनेट नोट की प्रति आयोग को टिप्पणी के लिए भेजा।

3.2. ड्राफ्ट कैबिनेट नोट में उल्लिखित है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की दूसरी अनुसूची की धारा 7(1क), सिक्किम विधान सभा के लिए 32 सीटों का प्रावधान करता है। इन 32 सीटों में से 12 सीट भूटिया एवं लेप्चा मूल के सिक्किमियों के लिए, 2 सीट राज्य के अनुसूचित जाति के लिए, एक सीट संघास के लिए तथा शेष 17 सीटें अन्य समुदायों (सामान्य) के लिए आरक्षित हैं।

3.3. ड्राफ्ट कैबिनेट नोट के उपशीर्षक ''पृष्ठभूमि'' में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका (सी) संख्या 90/2006 हैरी राम प्रधान बनाम भारत सरकार, सिक्किम राज्य सरकार तथा अन्य में दिनांक 4 जुलाई, 2016 के आदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय ने सिक्किम विधानसभा में लिम्बू और तमांग समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए निर्णय लेने को कहा है।

कैबिनेट नोट में 32 से 40 सीटें बढ़ाने तथा लिम्बू और तमांग समुदायों के लिए 05 सीटों का आरक्षण का प्रस्ताव है। सिक्किम विधानसभा की संरचना तथा प्रतिनिधित्व निम्नवत् होगा :–

19.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

क्र.सं.	समुदाय	सभा में प्रस्तावित सीटों की संख्या
01	भूटिया–लेप्चा	12
02	लिम्बू – तमांग	05
03	संघ	01
04	अनुसूचित जाति	02
05	अन्य समुदायों/सामान्य	20
	योग	40

3.4. इस प्रकरण के संबंध में यह उल्लिखित है कि भूटिया लेप्चा समुदाय के प्रतिनिधि मण्डल ने आयोग को सिक्किम विधान सभा में सीटों के आरक्षण के संबंध में ज्ञापन दिया था। ज्ञापन पर आयोग ने 89वीं बैठक दिनांक 29.09.2016 में चर्चा की। तदुपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने, सचिव, गृह मंत्रालय के साथ दिनांक 17.10.2016 को बैठक की। संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय ने आयोग को अवगत कराया "कि सिक्किम विधान सभा में सीटों की संख्या बढ़ाने तथा लिम्बू –तमांग के लिए सीटों के आरक्षण हेतु प्रस्ताव, माननीय गृह मंत्री के अनुमोदन से जारी हुआ है। इस विधेयक को, विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप देकर शीघ्र ही संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए इस स्थिति में संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।"

3.5. लिम्बू और तमांग समुदायों को सिक्किम राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रमांक 3 तथा 4 पर वर्ष 2003 में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 दिनांक 07.01.2003 द्वारा शामिल किया गया है।

3.6. आयोग ने प्रस्ताव पर विस्तृत विवेचना की और यह पाया कि ड्राफ्ट नोट के पैराग्राफ सं0 5.1 में उल्लिखित मंत्रालयों के कमेंटस (टिप्पणियां) संलग्न नहीं है तथा प्रस्तावित विधेयक की प्रति एवं प्रस्तावित सीटों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः गृह मंत्रालय, आयोग को संपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये, ताकि आयोग अनुच्छेद 338क के खण्ड (9) के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपनी संस्तुति भेज सके।

19.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 4	संयुक्त संवर्ग के पदों का विभाजन (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग व जनजातीय कार्य मंत्रालय का पृथक संवर्ग सृजन। **Bifurcation of posts of Joint Cadre (From NCSC and Ministry of SJ&E) and for creation of separate cadre of NCST and MoTA.**

4.1. अनुच्छेद 338 में संशोधन के बाद, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को दिनांक 19.02.2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में दो पृथक आयोगों में गठित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आदेश संख्या 27/4/एससीटीसी/2002–प्रशासन दिनांक 01.12.2004 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विभाजन कर दिया गया था।

4.2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिनांक 27.10.2015 की अधिसूचना संख्या ए–42018/53/2009–स्था.1 के द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय को 11 संयुक्त संवर्ग पद (एनसीएसटी के निदेशक के 4 पद, उप निदेशक के 2 पद तथा सहायक निदेशक के 5 पद) सौंप दिए थे तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 48011/5/2015–स्था. दिनांक 21.12.2015 के द्वारा उपरोक्त 11 संयुक्त संवर्ग पदों को प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया था। परन्तु, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिनांक 28.01.2016 के का.ज्ञा. सं. 42018/53/2009–स्था–1 के द्वारा संयुक्त संवर्ग के 11 पद (एनसीएसटी के निदेशक के 4 पद, उप निदेशक के 2 पद तथा सहायक निदेशक के 5 पद) के स्थानांनतरण की दिनांक 27.10.2015 की अधिसूचना को स्थगित कर दिया।

4.3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा समय–समय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ पत्राचार एवं बैठकें की गई परंतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संयुक्त संवर्ग का हस्तांतरण नहीं किया। इस संबंध में दिनांक 08.09.2016 को माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं माननीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा

19.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की गई तथा संयुक्त संवर्ग के प्रशासन को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया गया। इसमें यह निश्चित किया गया कि अक्टूबर मास के मध्य तक संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त किया जाए। तद्नुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संयुक्त संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों से विकल्प मांगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने फिर से दिनांक 20.02.2017 के आदेश सं0 1–42018/4/2017 स्था.I के द्वारा संयुक्त संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों का विकल्प मांगा। मामले में अत्यधिक देरी हो गई है और जनशक्ति की कमी के कारण आयोग अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षणों की सुरक्षा के लिए व्यथित है।

4.4. आयोग में संयुक्त संवर्ग तथा अन्य वर्गों के 74 खाली पदों को भरने के लिए सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 23.02.2017 के अ0 शा0 पत्र संख्या 4/1/एनसीएसटी/ 2012–प्रशा. के द्वारा सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय को लिखा है। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अ0शा0 पत्र संख्या 4/1/एनसीएसटी/2012–प्रशा. दिनांक 02.03.2017 द्वारा माननीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय को 74 खाली पदों को भरने के लिए लिखा है।

4.5. आयोग ने निर्णय लिया कि माननीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय से मुलाकात की जाए तथा संयुक्त संवर्ग के पदों का प्रशासनिक अधिकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया जाए ताकि आयोग में संयुक्त संवर्ग के तथा अन्य वर्गों के खाली पदों को तत्काल भरा जा सके और आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के सुरक्षणों एवं कल्याण के लिए प्रगतिशील हो सके।

19.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 5	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यविधि नियम, 2004 के नियम 31 का अनुवर्तन **Follow up of rule 31 of Rules of procedure of the National Commission for Scheduled Tribes, 2004**

5.1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यविधि नियम, 2004 के अध्याय III–आयोग द्वारा अन्वेषण तथा जांच के शीर्षक – "आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण तथा जांच" के नियम 31 के संदर्भ जो पुनः प्रस्तुत है, सूचनार्थ रखा गया गया।

> "अपेक्षित चर्चा के बाद जिस सदस्य ने अन्वेषण किया है वह एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिपोर्ट सचिव को अथवा उसके द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भेजी जाएगी। जांच के बाद अध्यक्ष के अनुमोदन से रिपोर्ट पर कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।"

कार्यसूची मद सं0 6	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के जघन्य अपराधों/घटनाओं के घटित होने पर तुरंत जांच हेतु एनसीएसटी में एक जांच दल का गठन **Constitution of a s team in NCST on spot enquiry on offucrrence of heinoucrimes/incidents of atrocities on STs in States/UTs.**

6.1. आयोग की 93वीं बैठक दिनांक 19.01.2017 में यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के जघन्य अपराधों/घटनाओं के घटित होने पर तुरंत जांच करने के लिए आयोग में जांच दल का गठन किया जाए।

19.4.1

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6.2. उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित जांच दल के गठन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया –

1. राज्य का प्रभारी सदस्य/उपाध्यक्ष
2. मुख्यालय में राज्य का प्रभारी निदेशक/उप सचिव
3. एनसीएसटी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी (अपने क्षेत्राधिकार में संबंधित राज्य)

6.3 आयोग ने उपरोक्त जांच दल के गठन हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। जांच दल गठन की सूचना सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों तथा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी जाए।

कार्यसूची मद सं0 7	एनसीएसटी में परामर्शकों/विशेषज्ञों को नियुक्त करने के संबंध में नीति आयोग के दिनांक 14.11.2016 के पत्र सं0 ए–12013/02/ 2015–प्रशा.(बी) द्वारा अनुसरण किए दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रिया को आवश्यक परिवर्तनों सहित अपनाना। **Adoption of mutatismutandis the guidelines and procedure as followed by NITI Aayog vide its file No. A- 12012/02/2015-Admin I(B) dated 14.11.2016 regarding engagement of consultants/ subjects experts in NCST.**

7.1. आयोग की 93वीं बैठक दिनांक 19.01.2017 में लिए गए निर्णय के अनुसार एनसीएसटी में परामर्शकों/विशेषज्ञों की नियुक्ति के संबंध में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए दिशा–निर्देशों एवं प्रक्रिया को अपना लिया गया।

7.2. आयोग ने विज्ञापन के माध्यम से परामर्शकों/विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

19.4.17
नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 8	माननीय उपाध्यक्ष की 19.01.2017 से 25.01.2017 तक मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले की दौरा–रिपोर्ट **Tour Report of Hon'ble Vice-Chairperson to District of Chhindwara State of Madhya Pradesh from 19.01.2017 to 25.01.2017**

8.1. माननीय उपाध्यक्ष महोदया की 19.01.2017 से 25.01.2017 तक मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल एवं छिंदवाड़ा जिलों का भ्रमण रिपोर्ट आयोग के समक्ष सूचनार्थ रखी गई।

8.2. यह निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की भ्रमण रिपोर्ट में यदि, नीतिगत तथा महत्वपूर्ण विषयों पर संस्तुतियां हैं तो आयोग के समक्ष रखी जाएं।

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

Any other items with permission of the Chair

कार्यसूची मद सं0 1	पोलावरम परियोजना, इंदिरा सागर द्वारा देवरागोधी पोलावरम मण्डलम, जिला–पश्चिमी गोदावरी तथा पुडिपल पंचायत, जिला–पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) द्वारा विस्थापित जनजातीय तथा स्थानीय लोगों की समस्या के संबंध में। **Displacement of tribals and other local people in Devaragodhi, Polavaram Mandalam, West Godavari District and Pudipall Panchayat in East Godavari District (Andhra Pradesh) due to contruction of Indira Sagar, Polavaram Project.**

1.1. अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त प्रकरण पर अनुसूचित जनजातियों की समस्या पर संज्ञान लिया। दिनांक 24.05.2016 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रमुख सचिव, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओड़ीशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग), अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग तथा सदस्य सचिव, पोलावरम अथॉरिटी के साथ बैठक की

19.4

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tri
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

गई थी, उसकी जानकारी ली। माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर संबंधित विभागों द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाई की जानकारी प्राप्त करने हेतु सभी संबंधित विभागों को आयोग द्वारा दिनांक 03.08.2016 को तथा अनुस्मारक दिनांक 15.02.2017 द्वारा रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा जा चुका है।

1.2. आयोग ने यह निर्णय लिया कि संबंधित विभागों को उनके द्वारा की गई कार्यवाई रिपोर्ट भेजने के लिए पत्र लिखा जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मंत्री, जल संसाधन एवं नदी विकास और गंगा संरक्षण को पत्र भेजा जाए।

1.3 संबंधित राज्यों/विभागों से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, सभी संबंधित राज्यों/विभागों की बैठक बुलाई जाए। उसके पश्चात् आयोग, पोलावरम परियोजना से विस्थापित लोगों की रहन–सहन की स्थिति (Living condition) जानने हेतु दौरा करेगा।

कार्यसूची मद सं0 2	**व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. सं0 19024/1/2009-E.IV dated:07-06-2016 - अन्य वायुयानों द्वारा यात्रा करने के संबंध में निर्बंध आदेश प्राप्त करने हेतु। OM No. 19024/1/2009-E.IV dated:07-06-2016 of Ministry of Finance, Department of Expenditure-regarding obtaining of blanket permission to travel by other airlines.**

2.1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 19024/1/2009-E.IV दिनांक 07-06-2016 के संदर्भ में, प्राईवेट वायुयानों से यात्रा करने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने में देरी होती है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों द्वारा प्राईवेट वायुयानों से की गई यात्रा के बिल जनजातीय कार्य मंत्रालय में विचाराधीन है।

19.4.17
नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2.2. अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामले पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा अधिकारियों को तत्काल जाना पड़ता है। अतः इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुमोदन के लिए लिखा जाए कि आयोग द्वारा प्राईवेट वायुयानों से की गई/की जाने वाली यात्राओं के लिए स्वयं प्रमाणन (**self certification**) के साथ अनुमति (**permission**) प्रदान की जाए।

कार्यसूची मद सं0 3	**अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए संविधान की पांचवी तथा छठी अनुसूचियों में किए गए प्रावधानों की भूमिका** **Role of provisions of 5th & 6th Schedules of Constitution for development of Scheduled Tribes**

3.1. अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए कहा कि संविधान की पांचवीं तथा छठी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। परन्तु राज्य सरकारें प्रावधानों को सुचारू रूप से लागू नहीं कर रही हैं। उदाहरणस्वरूप, अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु, जनजाति सलाहकार परिषद् संबंधित राज्य के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सक्षम सिद्ध नहीं हो पा रही हैं।

3.2. अतः सभी संबंधित राज्यों से संविधान की पांचवी तथा छठी अनुसूची में निहित प्रावधानों पर किए गए कार्यों की सूचना आयोग में मंगायी जाए।

कार्यसूची मद सं0 4	**अनुसूचित जनजातियों के असत्य जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में।** **False/Fake Scheduled Tribe certificates regarding**

4.1. माननीय अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान लेते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति का झूठा प्रमाण–पत्र लेकर लोग उच्च पदों पर सेवारत् हैं, जिसके फलस्वरूप वह अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अधिकारों को छीन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.1994 का

19.4

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tri
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि राज्य सरकारें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्रों की जांच के लिए समितियों का गठन नहीं कर पा रही हैं अथवा समितियां सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। जिससे वास्तविक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा अनुसूचित जनजाति के असत्य प्रमाण–पत्र लेकर नौकरी करने वाले लोगों को दण्ड देने में विलम्ब हो रहा है।

4.2. आयोग ने निर्णय लिया कि सभी संबंधित राज्यों से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय/आदेश के अनुसार राज्य में गठित समिति के संबंध में जारी परिपत्र/ज्ञापन की सूचना प्राप्त की जाए तथा उनके द्वारा विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के मामलों की जानकारी तथा की गई कार्रवाई से आयोग को तत्काल भेजने के लिए पत्र लिखा जाए।

कार्यसूची मद सं0 5	अनुसूचित जनजातियों की भूमि हस्तांतरण के संबंध में। **Land alienation of Scheduled Tribes**

5.1. माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की भूमि पर अन्य वर्गों द्वारा कब्जा करने तथा उनकी भूमि का विक्रय कर देने के संबंध में मामला उठाया।

5.2. उक्त प्रकरण में विस्तृत विवेचना के पश्चात्, आयोग ने निर्णय लिया कि संबंधित राज्य सरकारों से भूमि हस्तांतरण संबंधी नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी प्राप्त की जाए। इसके उपरांत, संबंधित राज्य सरकारों के साथ अनुसूचित जनजातियों के भूमि हस्तांतरण पर आयोग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

19.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 6	दैनिक समाचार पत्र पत्रिका दिनांक 18.03.2017 में प्रकाशित ''300 एकड़ कुनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता की अचानक मौत'' (ग्राम–कुनकुनी, थाना–खरसिया, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़) **Sudden death of petitioner of scandal of 300 Acre land of Kunkuni, News item published on 18-03-2017 in Patrika, a daily news paper (Vill-Kunkuni, PS- Kharasiya, Distt.-Raigarh, Chhattisgarh)**

6.1. अध्यक्ष महोदय ने दैनिक समाचार पत्र पत्रिका दिनांक 18.03.2017 में प्रकाशित ''300 एकड़ कुनकुनी जमीन घोटाले के याचिकाकर्ता की अचानक मौत'' (ग्राम–कुनकुनी, थाना–खरसिया, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़) विषय पर संज्ञान लेते हुए कहा कि श्री जयलाल की अचानक मृत्यु में कोई रहस्य हो सकता है। अतः आयोग को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

6.2 यह निर्णय लिया गया कि आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के अधिकारियों को तुरंत स्थल पर जाकर मामले में जांच रिपोर्ट भेजने को कहा जाए।

कार्यसूची मद सं0 7	कुमारी सुखवारो बरला उर्फ काजल बरला, मकान नं. सी–42ए, डीडीए फ्लैट, भूमि तल, शिवाजी एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली के यौन उत्पीड़न के संबंध में दिनांक 03.03.2017 का अभ्यावेदन **Representation dated 03/03/2017 received from Ms. Sukhvaro Barla or Kajal Barla, R/o C-42A, DDA Flat, Ground Floor, Shivaji Enclave, Rajauri Garden, New Delhi regarding sexual harassment**

7.1. अध्यक्ष महोदय ने, कुमारी सुखवारो बरला उर्फ काजल बरला, मकान नं. सी–42ए, डीडीए फ्लैट, भूमि तल, शिवाजी एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली के अभ्यावेदन दिनांक 03.03.2017 में यौन उत्पीड़न तथा मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, के मामले संज्ञान लिया और कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

19.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7.2 आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आयुक्त, दिल्ली पुलिस को पत्र लिख कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा उसके संशोधन, 2015 के तहत की गई कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 तक आयोग को भेजने को कहा जाए।

7.3. उपरोक्त प्रकार के अनुसुचित जनजातियों पर होने वाले जघन्य अपराधों (हत्या एवं बलात्कार) के मामले में आयोग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इस संबंध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में आयोग में, मामले में सर्वप्रथम संबंधित विभाग को नोटिस जारी करके 30 दिन के अंदर मामले में की गई कार्यवाई से अवगत कराने को कहता है। यदि सूचना नहीं मिलती है तो संबंधित विभाग के अधिकारी को आयोग में चर्चा के लिए बैठक (sitting) की तिथि सूचित की जाती है। यदि अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं होता है तथा मामले की जानकारी नहीं प्राप्त होती है तो उसे सम्मन जारी किया जाता है। सम्मन के अनुपालना न होने पर उसे गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाता है।

7.4. आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि जघन्य अपराधों (हत्या एवं बलात्कार) के मामले में संबंधित प्रदेश/संघ राज्य क्षेत्र के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव/गृह विभाग तथा पुलिस महानिदेशक को उनके नाम से संबोधित पत्र लिखा जाए जिससे राज्य में अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अपराधों/अत्याचारों पर राज्य के नीति निर्धारक अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सके।

कार्यसूची मद सं0 8	आयोग की वेबसाइट को राज्य सरकारों की वेबसाइट के साथ जोड़ने बाबत्। **To link the website of NCST with the website of State Governments-regarding**

8.1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वेबसाइट को राज्य सरकारों की वेबसाइट के साथ जोड़ने तथा आयोग की विषयसूची बाबत् पर्याप्त प्रचार–प्रसार पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। इन विषयों पर आगे की कार्रवाई करने के लिए सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्राधिकृत किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुई।

19.4.17

(नन्द कुमार साय)
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi